आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.12(8)साप्र/5/2017 जयपुर, दिनांकः 23-08-2023

परिपत्र

विषयः वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. यात्राओं के दौरान विश्राम भवनों की सेवाएं आउटडोर में लिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. यात्राओं के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जलपान/भोजन की व्यवस्थाओं हेतु जिला रसद अधिकारी के माध्यम से विश्राम भवनों से आउटडोर सर्विस हेतु क्रॉकरी एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। विश्राम भवन से क्रॉकरी एवं स्टाफ को आउटडोर सर्विस हेतु बाहर भेजे जाने पर विश्राम भवन की इनहाउस सेवाएं विपरीत रूप से प्रभावित होती है। अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत विश्राम भवनों के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. केवल माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एवं माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की यात्रा के दौरान ही विशिष्ट परिस्थितियों में विश्राम भवनों की आउटडोर सेवाएं उपयोग में ली जावे।
2. विश्राम भवनों के सीमित संसाधनों तथा कार्मिकों की अल्पसंख्या के दृष्टिगत बिन्दु संख्या–1 में उल्लेखित अतिथियों की यात्रा के अतिरिक्त अन्य अतिथियों को आउटडोर सर्विस की व्यवस्थाऐं यथासंभव राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (RTDC) अथवा अन्य समुचित माध्यमों से सुनिश्चित की जावे।
3. बिन्दु संख्या–1 में उल्लेखित अतिथियों के अतिरिक्त विश्राम भवन परिसर से बाहर के अन्य किसी भी आयोजन/कैम्प में विश्राम भवन की क्रॉकरी–कटलरी/फर्नीचर आदि नहीं भिजवाया जावे।
4. बिन्दु संख्या–1 में उल्लेखित अतिथियों की यात्रा के अतिरिक्त अन्य यात्राओं/अतिथियों की व्यवस्थाओं हेतु विश्राम भवन कार्मिकों को किसी भी परिस्थिति में आउटडोर सर्विस/व्यवस्थाओं में नहीं लगाया जावे।
5. बिन्दु संख्या–1 में उल्लेखित अतिथियों की यात्रा के अतिरिक्त जिला प्रशासन स्तर से विश्राम भवन प्रबन्धन/संचालन व्यवस्थाओं पर अनावश्यक मांग/निर्देशित किये जाने की स्थिति में तत्काल वस्तुस्थिति विभाग के संज्ञान में लाई जावे एवं विभाग की पूर्वानुमति के उपरान्त ही कार्मिकों को अन्यत्र लगाया जावे।
6. उपरोक्तानुसार यात्राओं के दौरान सर्किट हाउस मैन्युअल, 2017 में उल्लेखित पात्रता एवं चार्जेज के अनुसार व्यवस्थाऐं की जावे।
7. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. यात्रा के दौरान विश्राम भवन की इनहाउस सेवाऐं/व्यवस्थाऐं प्रभावित न हो और विश्राम भवन में आवासित अतिथियों को कोई असुविधा न हो।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Room No.1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No.(J.S.)-0141-2227874 E-Mail-asgad5@rajasthan.gov.in
Website: www.gad.rajasthan.gov.in